राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....1670/2016.....जिला.....जयपुर.....

मै. एच.सी.एल. इन्फोसिस्टम लि., जयपुर बनाम 1. अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, जयपुर 2. सहायक आयुक्त विशेष वृत राजस्थान जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.2016	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 1,05,26,453/– में से रू0 60,26,453/– की वसूली को उनके समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा एक वर्ष तक स्थगित किया एवं शेष राशि रू0 45,00,000/– की वसूली को स्थगित नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अतः उन्होंने उक्त बकाया राशि रू0 45,00,000/– की वसूली को स्थगित रखे जाने हेतु यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने तर्क प्रस्तुत किया कि व्यवहारी द्वारा कर चुका कर की गई खरीद पर आईटीसी का समायोजन चाहा गया था। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विभाग की वेबसाइट राजविस्टा पर सत्यापन नहीं पाये जाने पर समायोजन प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने कथन किया कि विभाग का दायित्व है कि वह लेखा पुस्तकों में इन्द्राजात व खरीद बिलों की जांच पश्चात बनने वाले आईटीसी का समायोजन स्वयं प्रदान करे। अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अविधिक बतलाते हुए उन्हें अपास्त करने का निवेदन किया एवं शेष मांग राशि रू0 45,00,000/– को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील तक स्थगित करने का अनुरोध किया। उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19.07.2016 का समर्थन करते हुए व्यवहारी द्वारा वर्ष 2012–13 से 2013–14 में इनपुट टैक्स राशि रू0 3473986/– मानते हुए कम कर जमा करवाया गया है जबकि उनके द्वारा वर्ष 2013–14 की तिमाही व वार्षिक विवरणियों में पिछले वर्ष से 3,62,879/– का ही इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होना दर्शाया गया लगातार.....2	

है एवं व्यवहारी के वर्ष 2012–13 के कर निर्धारण आदेश या किसी संशोधन आदेश में वर्ष 2012–13 से 2013–14 में किसी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरिफावर्ड होना नहीं होने के कारण वर्ष 2013–14 के कर निर्धारण आदेश में उक्त समायोजन चाही गई राशि पर ब्याज आरोपित किया गया एवं आलौच्य अवधि में की गई खरीद पर चाहे गये इनपुट टैक्स क्रेडिट में से राजविस्टा पर असत्यापित राशि रू0 4810162/– का समायोजन नहीं देते हुए उस पर ब्याज आरोपित किया गया। अपीलार्थी की यह अपील खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 45,00,000/– की वसूली पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण अथवा 3 माह जो भी पहले हो, तक रोक लगाई जाती है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

8. आदेश प्रसारित किया गया।

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य